संख्या-60/2018/2881/22-2-2017-17(297)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी द्वारिका पुत्र श्री बाबू कुम्हार, निवासी जनपद-रायबरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-38242/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02.05.2017) दिनांक 24.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 24.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी द्वारिका पुत्र श्री बाबू कुम्हार, निवासी ग्राम-कुम्हारनपुर मजरे मोल्हियापुर हाल बालेमऊ, थाना-भदोखर, जनपद-रायबरेली का रहने वाला है। बन्दी राजगीर का काम करता था, दिनांक 14.01.1990 को लगभग 07.00 बजे मजदूरी के पैसों को लेकर पत्नी रामरती से कहा सुनी हुई। बन्दी ने रामरती को चाकू मार दिया। भतीजा रामखेलावन बचाने दौडा उसके पेट में चाकू लग गया। रामरती की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-226/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला रायबरेली के आदेश दिनांक 12.09.1991 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.07.1995 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.02.2017 तक 26 वर्ष 07 माह 16 दिन की अपरिहार एवं 34 वर्ष 11 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-54 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दिनांक 14.01.1990 को मजदूरी के पैसों को लेकर पत्नी रामरती से कहा सुनी के दौरान चाकू मार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा के कारण समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी द्वारिका पुत्र श्री बाबू कुम्हार को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी द्वारिका (बन्दी संख्या-128/2016) पुत्र श्री बाबू कुम्हार, निवासी जनपद-रायबरेली के फार्म-ए पर यू0पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-60/2018/2881(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-रायबरेली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कागारार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-60/2018/2881@22-2-2017-17(297)/2009

दिनांक 17 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बन्दी द्वारिका (बन्दी संख्या-128/2016) पुत्र श्री बाबू कुम्हार, निवासी ग्राम-कुम्हारनपुर मजरे मोल्हियापुर हाल बालेमऊ, थाना-भदोखर, जनपद-रायबरेली का रहने वाला है। बन्दी राजगीर का काम करता था, दिनांक 14.01.1990 को लगभग 07.00 बजे मजदूरी के पैसों को लेकर पत्नी रामरती से कहा सुनी हुई। बन्दी ने रामरती को चाकू मार दिया। भतीजा रामखेलावन बचाने दौडा उसके पेट में चाकू लग गया। रामरती की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-226/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला रायबरेली के आदेश दिनांक 12.09.1991 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.07.1995 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.02.2017 तक 26 वर्ष 07 माह 16 दिन की अपरिहार एवं 34 वर्ष 11 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-54 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दिनांक 14.01.1990 को मजदूरी के पैसों को लेकर पत्नी रामरती से कहा सुनी के दौरान चाकू मार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा के कारण समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी द्वारिका पुत्र श्री बाबू कुम्हार को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in